संख्या– 183/–प0आ0/2004–05पर्य0/97–2002

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः
देहरादून दिनांक 9 मार्च, 2004

विषयः– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत योग ध्यान केन्द्र (मेडिटेशन सेन्टर) मुनिकिरेती के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–87प0आ0/2002–5पर्य0/2002 दिनांक 21मार्च 2003 एवं उत्तरॉचल पर्यटन विकास परिषद के पत्रांक–525/2–10–9/03 दिनांक 13 फरवरी, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत योग ध्यान केन्द्र मुनिकिरेती के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 5.17 लाख एवं अवशेष राज्यांश रू0 5.62 लाख अर्थात कुल रू0 10.79 लाख (रूपये दस लाख उन्नासी हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

9–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

10– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संम्बन्धि निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

11–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

12– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–3027/वित्त अनु0–3/2003, दिनांक 01 मार्च ,2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– –प0अा0/2004–05पर्य0/97–2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
4– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
7– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
8– निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

NIC
(29)